न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 29 / 2024
निर्णय दिनांक : 23.05.2025
GCMS NO : 2024/27

केशाराम पुत्र पुरनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
2. बजरंगसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तेलाप तहसील, सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

................प्रतिवादीगण

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1.वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट उपस्थित।
2.प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु एडवोकेट उपस्थित।
3.प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की रोही में खेत खसरा नं. 356 / 156 तादादी 4.9694 हैक्टेयर व ख.नं. 155 तादादी 2.8830 हैक्टेयर वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज है।

वादगत खेत खसरा नं. 356 / 156 तादादी 4.9694 हैक्टेयर व ख.नं. 155 तादादी 2.8830 हैक्टेयर दोनों खसरान दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के आधार पर दिनांक 24.11.1995 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी द्वारा खरीद किये गये है। खेत ख.नं. 155 सम्पूर्ण खसरा भूमि होने के कारण पूरी खसरे की भूमि क्रय की गई थी, व खसरा नं. 156 मीन तादादी क्रय की गयी जिसका विक्रय पत्र में आसे–पासे दर्शाये गये है–

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
रास्ता खेतों का	जोहड़ पायतन तलाई इन्डोकली	बाकी मांदा खेत ख. नं. 156 विक्रेता व खेत चतराराम पुत्र सुरजाराम मेघवाल	खेत रेवन्तपूरी पुत्र हीरापुरी गुसांई व ख.नं. 155 जो क्रेता श्री पुरणाराम गोदारा को विक्रय किया गया है व भैराराम दतक तेजाराम सिहाग का

वादगत खेत ख.नं. 156 में से वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि 19 बीघा 13 बिश्वा का राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात नये ख.नं. 356 / 156 तादादी 19 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

13 बीघा वादी के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी में खातेदारी सहित दर्ज हो गई, मगर राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के विक्रय पत्र में वर्णित आसे–पासे के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई। विक्रय पत्र में पूर्वी दिशा की तरफ बांकी मांदा भूमि व खेत चतराराम पुत्र सुरजाराम मेघवाल पड़ौसी दर्शाये गये है, जबकि राजस्व रेकॉर्ड एक्स में पूर्वी दिशा की तरमीम में चतराराम पुत्र सुरजाराम मेघवाल की तरफ भूमि बाकी मांदा की ही छोड़ दी, जो विक्रय पत्र के अनुसार गलत दर्ज हुई है। उक्त वाद को भली भांति समझने के लिए वादी द्वारा वादपत्र के साथ नजरी–नक्शा संलग्न किया गया है, जिसमें मार्ग A,B,C,D जगह पर गलत तरमीम की गई, जबकि सही तरमीम नक्शे में दर्शित मार्ग B से E दर्ज किया जाना चाहिए। गलत तरमीम के चलते वादी अपने वैद्य कानूनी अधिकारों से महरूम हो रहा है, इसलिए गलत तरमीम को सही करवाने का वादी कानूनी अधिकार है।

वादगत खेत खनं. 356/156 की उक्त गलत तरमीम वादी के नाम चली आ रही थी। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादगत खेत ख.नं. 356/156 के नक्शे में संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्ग E, F, G, H की तरमीम गलत रूप से ख.नं. 355/156 में अंकित क दी गई, जबकि उक्त नजरी नक्शा में दर्शित मार्ग E, F, G, H की भूमि ख.नं. 356/156 के नक्शे की भूमि है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी बनाते समय मार्ग E, F, G, H नक्शे में गलत तरमीम की गई है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त एक्स की भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि होने के कारण उक्त गलत तरमीम को सही करवाने का कानूनी अधिकार है।

वादी द्वारा वादगत खेत ख.नं. 356/156 व वादी के खेत ख.नं. 155 की राजस्व रिकॉर्ड की जमावन्दी की नकल दिनांक 05.05.2023 को प्राप्त करने पर वादी पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तो वादी को सर्वप्रथम सरकार से उक्त एक्स की भूल को सुधार करने का निवेदन किया, तो वादी को सर्वप्रथम सरकार से उक्त एक्स की भूल को सुधार करने का निवेदन किया, मगर भू–धारक प्रतिवादी द्वारा उक्त वादगत भूमि के एक्स में दिनांक 02.02.2024 तक दुरूस्त नहीं किया व सक्षम न्यायालय से दुरूस्त करवाने का काम जिस पर वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादगत भूमि के गलत शून्य एक्स को दुरूस्त करवाये, जिसका वादी का कानूनी अधिकार है।

वादगत खेत ख.नं. 356/156 तादादी 4.9694 ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान एक्स(नक्शा) का अंकन गलत होने के कारण वर्तमान सीमा जो दावे के साथ नजरिया नक्शा में मार्क A, B, C, D में अंकित तरमीम लाईन व मार्क E, F, G, H में अंकित तरमीम लाईन को हटाकर वादगत खेत ख.नं. 356/156 की सही सीमा वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्ग E, H, I, A सीमा की सही तरमीम करें व एक्स को दुरस्त करें।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश किया गया जिसका स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयाजित किया गया व प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 राज पैराकार तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक विक्रयपत्र दिनांक 24.11.1995 के खातेदार किशनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी तेलाप ने ग्राम तेलाप के ख.नं. 156 तादादी 102.10 बीघा में से 19.13 बीघा भूमि क्रेता केशाराम पुत्र पुरनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मगरासर को विक्रय कर दी। नामान्तरकरण दर्ज करते समय विक्रयपत्र में अंकित आसे–पासे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई। ऑनलाईन नक्शा सेग्रीगेसन के उक्त तरमीम के आधार पर ऑनलाईन नक्शे में तरमीम गलत दर्ज हो गई। क्रेता केशाराम पुत्र पुरनाराम जाति जाट का 19.13 बीघा विक्रयपत्र में अंकित आसे–पासे के अनुसार वर्तमान में मौके पर कब्जाकाश्त है।

वादी की ओर से साक्ष्य के समर्थन मे शपथ–पत्र पेश किया गया जिसमें पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात को प्रदर्श–01 से 06A तक प्रदर्शित किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खेत ख.नं. 356/156 रकबा 4.9694 हैक्टेयर की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दर्शित A, B, C, D में अंकित तरमीम लाईन व E, F, G, H में अंकित तरमीम लाईन को हटाकर, दर्शित मार्क E, H, I, A सीमा की सही तरमीम करें व एक्स को दुरस्त किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

केशाराम बनाम सरकार आदि
दावा रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत्
मुकदमा न0 29 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड़, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ जिला चूरू के खेत ख.नं. 356/156 रकबा 4.9694 हैक्टेयर की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दर्शित A, B, C, D में अंकित तरमीम लाईन व E, F, G, H में अंकित तरमीम लाईन को हटाकर, दर्शित मार्क E, H, I, A सीमा की सही तरमीम करें व एक्स को दुरुस्त किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
...

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 05 2025

मुहर ...

दस्तखत ....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा ....
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।